ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 83

पेयजल आपूर्ति विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		9200.00	2.84	9202.84	9199.00	4.15	9203.15	10580.00	3.78	10583.78
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**9200.00**	**2.84**	**9202.84**	**9199.00**	**4.15**	**9203.15**	**10580.00**	**3.78**	**10583.78**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	2.84	2.84	...	4.15	4.15	...	3.78	3.78
2. ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई										
2.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3601	1425.17	...	1425.17	1431.16	...	1431.16	0.01	...	0.01
(पूर्ववर्ती त्वरित	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम)	2215	5774.83	...	5774.83	5767.84	...	5767.84	8099.99	...	8099.99
	जोड़	*7200.00*	*...*	*7200.00*	*7199.00*	*...*	*7199.00*	*8100.00*	*...*	*8100.00*
2.02 ग्रामीण स्कूलों में एकल जल शुद्धिकरण प्रणाली	2215	32.44	...	32.44	32.44	...	32.44	...	...	...
	3601	57.56	...	57.56	57.56	...	57.56	...	...	...
	जोड़	*90.00*	*...*	*90.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*...*	*...*	*...*
2.03 घटाइएः सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से किया गया व्यय	2215	-32.44	...	-32.44	-32.44	...	-32.44	...	...	...
	3601	-67.56	...	-67.56	-67.56	...	-67.56	...	...	...
	जोड़	*-100.00*	*...*	*-100.00*	*-100.00*	*...*	*-100.00*	*...*	*...*	*...*
3. जोड़ स्वच्छता अभियान (पूर्ववर्ती ग्रामीण सफाई)	2215	1080.00	...	1080.00	1080.00	...	1080.00	1422.00	...	1422.00
जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई		**8270.00**	**...**	**8270.00**	**8269.00**	**...**	**8269.00**	**9522.00**	**...**	**9522.00**
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	930.00	...	930.00	...	...	...	...	...	...
5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में प्रावधान										
5.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (पूर्ववर्ती त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम)	2552	...	...	...	800.00	...	800.00	900.00	...	900.00
5.02 ग्रामीण स्कूलों में एकल जल शुद्धिकरण प्रणाली	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...
5.03 जोड़ स्वच्छता अभियान (पूर्ववर्ती ग्रामीण सफाई)	2552	...	...	...	120.00	...	120.00	158.00	...	158.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*930.00*	*...*	*930.00*	*1058.00*	*...*	*1058.00*
कुल जोड़		***9200.00***	***2.84***	***9202.84***	***9199.00***	***4.15***	***9203.15***	***10580.00***	***3.78***	***10583.78***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	8270.00	...	8270.00	8269.00	...	8269.00	9522.00	...	9522.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	930.00	...	930.00	930.00	...	930.00	1058.00	...	1058.00
जोड़		**9200.00**	**...**	**9200.00**	**9199.00**	**...**	**9199.00**	**10580.00**	**...**	**10580.00**

1. यह प्रावधान पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2. 11वीं योजना के दौरान मुख्य मुद्दे , जिन्हें हल किए जाने की आवश्यकता है वे हैं- भरण-पोषण, जल की उपलब्धता और आपूर्ति तथा जल की गुणवत्ता की समस्या, केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण तथा महिलाओं, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्कूली बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, विशेष रूप से निःसहाय और वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे सामाजिक रूप से असुरक्षित समूहों के संबंध में समानता को सुनिश्चित करने के प्रति पूरा ध्यान देते हुए परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एंड एम.) लागत को समान आधार पर वित्तपोषित करना ।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

(i) राज्यों को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए आबंटन संबंधी मानदण्ड में दिए जाने वाले अतिरिक्त वैटेज पॉइन्ट्स को समाप्त करते हुए राज्यों के गैर-निष्पादन की अपेक्षा निष्पादन को पुरस्कृत करना।

(ii) आबंटन संबंधी मानदण्ड, वर्ष 2001 की जनगणना के जनसंख्या संबंधी आँकड़ों और डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी./एच.ए.डी.पी. ब्लॉकों की संख्या पर निर्भर करते हैं।

(iii) उन राज्यों, जो सृजित की गई परिसम्पत्तियों को पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करते हैं, को अतिरिक्त वेटेज प्वाईंटस के रूप में निधियों की कतिपय प्रतिशतता को प्रोत्साहन निधियों के रूप में आबंटित करना।

(iv) पेयजल योजनाओं की चिरंतरता को बनाए रखने हेतु राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 20% राशि आरक्षित करना। इस 20% राशि का वहन पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(v) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के दुर्गम राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु इन राज्यों के लिए निधियों को बांटे जाने की पद्धति को मौजूदा 50:50 (केन्द्र से राज्य को) से बढ़ाकर 90:10 (केन्द्र से राज्य को) किया गया है।

3. सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा देने के कार्य को अत्यधिक महत्व देना जारी है। स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 593 जिलों में शुरू किया गया है। 11वीं योजना के अंत तक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सभी परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कवर किए जाने और वर्ष 2010 तक स्वच्छता न प्राप्त कर पाने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करके आधा करने के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजना स्कीमों के लिए स्कीम-वार प्रावधान रखा गया है।